अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110 070

फोनः 011-29581002 वेबसाईटः www.aicte-india.org

सार्वजनिक सूचना
अभातशिप से पूर्व अनुमोदन

ऐसे सभी तकनीकी संस्थानों एवं मानित विश्वविद्यालय संस्थानों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जो इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प और डिजाइन, होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी, एमसीए तथा प्रबंधन में विभिन्न स्तरों पर डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा प्रमाण–पत्र/स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकपूर्व डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर/फैलोशिप/सहयोग एवं ट्विनिंग कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं उन्हें अभातशिप अधिनियम, 1987 और संशोधित विनियमन, 2020 की धारा 10 एवं 11 के अनुसार अभातशिप से पूर्व–अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

यह भी कि सभी तकनीकी विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय सभी तकनीकी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए अभातशिप से पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करें अथवा किसी भी तकनीकी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए कोई अनुमोदन प्राप्त न करें। सत्र 2021–22 से कुछ कार्यक्रमों के लिए आंशिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा ताकि हितधारको के बीच किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा होने से बचा जा सके।

कोई संस्थान, जो उक्त उल्लिखित कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है परंतु उसने इसके लिए भारत के राजपत्र में फाइल संख्याः अनुमोदन ब्यूरो/अभातशिप/आरईजी/2020 दिनांक 04.02.2020 द्वारा अधिसूचित अभातशिप के संशोधित विनियमन की धारा 9 एवं 10 के अनुसार अभातशिप से पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है वह दंडात्मक/विधिक कार्रवाई के लिए दायी होगा।

सभी संस्थानों के लिए अभातशिप द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में दिए गए अनुसार समयावधि तथा प्रवेश स्तर की अहर्ता का अनुपालन करना भी आवश्यक है। अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त किए बिना कार्यक्रम/पाठ्यक्रम की अवधि में परिवर्तन करने वाले संस्थान, अभातशिप विनियम के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई आरंभ किए जाने के लिए दायी होगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की अवधि को अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2020–21 के परिशिष्ट–I में परिभाषित किया गया है।

सभी इच्छुक विद्यार्थियों को संस्थान तथा पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन की स्थिति/पाठ्यक्रम की अवधि/संस्थान और पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की प्रवेश स्तर अहर्ता आदि जानने के लिए संस्थान की वेबसाइट/अभातशिप की वेबसाइट देखने का परामर्श दिया जाता है।

लाभार्थियों के हित हेतु गैर–अनुमोदित संस्थानों की सूची भी अभातशिप की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सभी राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय ऐसे तकनीकी संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होने अभातशिप से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया है।

विज्ञापन संख्या : अनुमोदन ब्यूरो/01(01)/2021–22 **सदस्य सचिव, अभातशिप**